— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-07.06.2021

थाना कछवां पुलिस द्वारा पुत्र की फावड़े से मारकर हत्या करने वाले पिता को भेजा गया जेल—

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 05.06.2021 की रात्रि समय करीब 21.30 बजे थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आही निवासी शुक्खू हरिजन पुत्र स्व0 सरजू व उनके बेटे चन्द्रशेखर हरिजन के बीच पारिवारीक विवाद को लेकर कहा सुनी हो गई थी। इस दौरान सुक्खू हरिजन ने अपने पुत्र चन्द्रेशखर उम्र करीब-30 वर्ष के सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया था, पड़ोसी द्वारा घायल चन्द्रशेखर उपरोक्त को इलाज हेतु जनपदीय चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कछवां पर वादी ओम प्रकाश पुत्र स्व0 गुलजार निवासी आही थाना कछवां मीरजापुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। आज दिनांक 07.06.2021 को उ0नि0 हरिकेश सिंह चौकी प्रभारी जमुआ मय हमराह द्वारा अभियुक्त शुक्खू हरिजन पुत्र स्व0 सरजू हरिजन निवासी आही थाना कछवां मीरजापुर को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।